



2026:AHC:37129

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5927/2026

आदित्येंद्र @ अदित्येंद्र आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : जितेंद्र सिंह, प्रेमेंद्र सिंह

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.), सुमित मुबई

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित मोबाई को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अभिलिखित बयानों में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अपने पति के साथ किसी विवाद के उत्पन्न होने के कारण वह अपने मायके में रह रही थी, जहाँ आवेदक के साथ उसकी मित्रता हो गई, जो विवाह का झूठा प्रलोभन देकर दो वर्षों से उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता रहा और अब उसने विवाह करने से इनकार कर दिया है। आगे यह भी कहा गया कि पीड़िता एक विवाहित एवं वयस्क महिला है जिसकी आयु लगभग 19 वर्ष है। समस्त अभियोजन कथानक से परिलक्षित होता है कि पीड़िता

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक के साथ सम्बन्ध में थी और दोनों के मध्य जो भी शारीरिक सम्बन्ध विकसित हुए वे सहमति से थे क्योंकि वे लगभग दो वर्षों की दीर्घावधि से सम्बन्ध में थे तथा पीड़िता ने इस सम्बन्ध में पूर्व में कभी कोई शिकायत नहीं की थी। इससे परिलक्षित हो रहा है कि आवेदक को दुर्भावनापूर्ण आशय एवं छिपे उद्देश्य से मिथ्या एवं निराधार आरोपों के आधार पर इस प्रकरण में फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की मिथ्यता प्रदर्शित करने हेतु अनेक अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया जो अधिवक्ता के अनुसार अभियुक्त के मिथ्या फंसाव का कारण बनीं। आवेदक की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध करायेगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अधिरोपित करेगी। आवेदक निर्दोष है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं वह इस प्रकरण में दि० 18.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है, इसलिए आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया जाय।

3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी भी अनुग्रह का पात्र नहीं है, इसलिए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं परिस्थितियों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गम्भीरता तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पीड़िता एक विवाहित एवं वयस्क महिला है, दोनों के मध्य दीर्घकालीन सम्बन्ध रहे हैं तथा पीड़िता ने इससे पूर्व कभी कोई शिकायत नहीं की थी, वाद के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

5. अतः वाद के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए हुए आवेदक आदित्येन्द्र @ अदित्येन्द्र को मु.अ.सं० 321/2025, अन्तर्गत धारा 70(1), 351(3) बी.एन.एस., थाना- जखौरा, जिला-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ललितपुर में संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ दिया जाय।

- i) आवेदक विवेचना या परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों व पीड़िता/शिकायतकर्ता को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।
- iii) आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान बिना कोई अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- iv) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद ऐसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए आवेदक अभियुक्त है अथवा जिसके किये जाने का उस पर संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से विरत रहना पड़े अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो।

6. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत नियमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

दिनांक : 18 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"